



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42914 वर्ष 2025

रोशन चौहान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : हरि नारायण सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री हरि नारायण सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री देवाशीष मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए और सुश्री इफ्राह इस्लाम, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 575 / 2025, धारा 103(1), 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. के अधीन, थाना गीडा, जिला गोरखपुर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक ने 4.10.2025 को लगभग शाम 7:00 बजे मृतक पर लोहे की छड़ से हमला कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी रात 00:57 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी पांच घंटे विलंबित है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह अचानक उत्तेजना का मामला है, क्योंकि उस समय मृतक मूर्ति विसर्जन में शामिल था, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।



आवेदक 15.10.2025 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि यह एक स्पष्ट और बंद मामला है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे जांच अधिकारी द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अधीन परीक्षित किया गया है और उसने पूर्व दुश्मनी के कारण लोहे की छड़ से हमला करने में आवेदक की भूमिका निर्दिष्ट की है। मृत्यु का कारण उसे लगी सिर की चोट है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब को स्पष्ट किए जाने और मृतक का बयान भी होने को, जो मरते दम पर दिया गया बयान के समान हो सकता है, ध्यान में लेते हुए, मैं इसे आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
8. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220** और **हुसैन और एक अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र शीघ्रता से निर्णीत किया जाए, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

शालिनी